

न्यायालय सिविल जज (प्रवर वर्ग), रामपुर।

लघुवाद सं०- 09/2022

(रजि० सं० 01/2022)

सलीम कादरी ---बनाम--- अफसर अली

21-02-2024

पत्रावली पेश हुई। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 26 क 2/11 ग/13 ग नियत है। प्रार्थना पत्र 26 क 2 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 26 क 2

प्रार्थी/वादी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र 26 क 2 मय शपथपत्र 27 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी अपने रेप्लीकेशन में संशोधन करना चाहता है। वादी के अनपढ़ होने के कारण भूलवश टंकण त्रुटिवश वादी की दादी के नाम में त्रुटि हो गयी है, जिसका मुख्य कारण वादी के दादा की दो पत्नियाँ थीं, जो मन्नो बेगम एवं बन्नो बेगम के मिलते-जुलते नाम होने के कारण हुई। वादी के सही से सुन न पाने के कारण टंकण त्रुटि हो गयी है, जो दौराने शपथपत्र तैयार करते हुए वादी के संज्ञान में आया, जिसमें संशोधन किया जाना परम आवश्यक है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा रेप्लीकेशन में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली, वसूली किराया व क्षतिपूर्ति के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। प्रार्थी/वादी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र 26 क 2 के माध्यम से रेप्लीकेशन (जवाबुल जवाब) के पैरा सं० 7 में अंकित शब्द "असत्य" काटे जाने तथा पैरा सं० 12 में शब्द "मन्नो बेगम" के स्थान पर "बन्नो बेगम" तथा शब्द "बन्नो बेगम" के स्थान पर "मन्नो बेगम" का नाम संशोधित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रतिवादी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है। प्रार्थी द्वारा उक्त संशोधन जवाबुल जवाब (रेप्लीकेशन) पर चाहा गया है। जहाँ तक प्रतिवादी की आपत्ति का प्रश्न है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 26 क 2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 26 क 2 अंकन 500/- (पाँच सौ) रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/वादी संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 11 ग/13 ग दिनांक 14-03-2024 को पेश हो।

सिविल जज (प्रवर वर्ग),
रामपुर।